रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 640] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2000/आश्विन 7, 1922
No. 640] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2000/ASVINA 7, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2000

का॰ आ॰ 900(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा तटीय क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने और उनके विस्तार, प्रचालनों और प्रक्रियाओं आदि पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे;

और अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने उक्त राज्य क्षेत्र के तटीय विनियमन क्षेत्र में बालू के खनन पर लगे निर्बंधन के कारण स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सहन की जा रही कठिनाइयों की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है;

और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इस मुद्दे की जांच कर ली है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना को संशोधित किया जाना चाहिए;

2. अत: अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और उप नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

(क) पैरा 2 के उप-पैरा (ix) के परन्तुक में —

(i) "30 सितम्बर, 2000" शब्दों और अंकों के स्थान पर "30 सितम्बर, 2001" शब्द और अंक रखे जाएंगे; और

(ii) "1999-2000 और 2000-2001 वार्षिक योजना की अपेक्षाओं" शब्दों और अंकों के स्थान पर "2000-2001 और 2001-2002 वार्षिक योजनाओं की अपेक्षाओं" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) उपाबंध 1 में सी आर जेड 4 अंदमान और निकोबार द्वीप शीर्षक में, मद (iv) की उपमद (ख) में "30 सितम्बर, 2000" शब्दों और अंकों के स्थान पर "30 सितम्बर, 2001" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[सं. जैड-12011/2/96-आई ए-III]

वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2000

S.O. 900 (E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 114 (E), dated the 19th February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared Coastal Stretches as Central Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes etc., in the said zone;

And whereas, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands Administration had drawn attention of the Central Government to the difficulties being faced by the local people due to restrictions on mining of sand in the Coastal Regulation Zone in the said territory;

And whereas, the issue has been examined by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the said notification should be amended;

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely :-

(a) In paragraph 2, in sub-paragraph (ix) in the proviso :-

(i) for the figures, letters and words "30th day of September, 2000", the figures, letters and words "30th day of September, 2001" shall be substituted; and

(ii) for the words and figures "requirements of 1999-2000 and 2000-2001 annual plans" the words and figures "requirements of 2000-2001 and 2001-2002 annual plans" shall be substituted.

(b) In Annexure-I, in heading – CRZ-IV Andaman & Nicobar Islands, in sub-item (b) of item (iv), for the figures, letters and words "30th day of September, 2000" the figures, letters and words "30th day of September, 2001" shall be substituted.

[No. Z-12011/2/96-IA-III]

V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064.
and Published by the Controller of Publication, Delhi-110054.